शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81

E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुडे
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2125 दिनांक : 23.10.2025

श्री जेपी विमल, आइएएस (सेनि),
सोसायटी चुनाव अधिकारी,
डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान,
जयपुर ।

विषय: केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव के संदर्भ में कोषाध्यक्ष पत्र क्रमांक Dr AMWS/41/2025 दिनांक 09.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में सभी बातों को निम्नलिखित अनुसार पेराग्राफ क्रम में आपके और सोसायटी सदस्यों की सूचना हेतु प्रेषित है:

पेराग्राफ क्रमांक 1- सोसायटी का संचालन सोसायटी विधान अनुसार किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट है। कभी भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की अनदेखी नहीं की गई। इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनकी अनदेखी कब हुई है। यह सबकुछ पूर्व अध्यक्ष के स्तीफा देने के बाद उठाई जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि इनका मकसद कुछ और है।

पेराग्राफ क्रमांक 2- दिनांक 19.05.2024 को डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा के स्तीफा देने के बाद रिक्त हुए अध्यक्ष पद को केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा सोसायटी विधान एवं पूर्व की परंपराओं अनुसार सहवरण प्रकिया से भरा गया था। श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा इस पर आपत्ति जताने पर दो बार पुनः केंद्रीय कार्यसमिति बैठक का दो बार आयोजन किया गया, परंतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष ने इन बैठकों में शामिल होकर अपना पक्ष नहीं रखा। श्री बनवारी लाल बैरवा द्वारा श्री जसवन्त सम्पतराम को अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोकने हेतु न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसके इंटरिम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा वाद को माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.08.2024 एवं दिनांक 17.10.2025 को ख़ारिज़ कर दिया है। दोनों फैसलों की प्रति संलग्न है। अतः श्री जसवन्त सम्पतराम को अध्यक्ष पद पर कार्य करने में कभी भी कोई वैधानिक रुकावट नहीं रही है।

पेराग्राफ क्रमांक 3- दिनांक 26.05.2024 की बैठक के आयोजकों ने महासचिव को बैठक में पारित प्रस्ताव एवं शामिल सदस्यों के बारे में बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज सूचना बार बार अनुरोध के बावजूद भी आज़ तक भी उपलब्ध नहीं करवाई है। इस बारे में सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में विरोधाभासी बातें प्रकाशित हुई है।

दिनांक 26.05.2024 की बैठक के दौरान सोसायटी परिसर में बोरवेल मोटर में तोड़फोड़ हुई और छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था भी बाहर से की गई। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष एवं

श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी हैं और कोषाध्यक्ष महोदय ने बोरवेल मोटर रिपेयरिंग का भुगतान करने से मना कर दिया था।

दिनांक 26.05.2024 की बैठक के बाद सोसायटी परिसर में दिनांक 30.05.2024 की रात्रि को छात्रावास ब्लाक ए में सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, पानी लाइनें और मोटर साइकिलें आदि में तोड़फोड़ हुई इसलिए सोसायटी परिसर में शांति स्थापित करने हेतु पुलिस को सूचित करना जरूरी समझा गया। अन्यथा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सहित 17 वरिष्ठ सदस्यों को पुलिस अथवा अन्य किसीने भी सोसायटी परिसर में आने से नहीं रोका। इन सभी में से काफी व्यक्तियों ने सोसायटी परिसर में बैठक तक का भी आयोजन किया है।

सोसायटी में दिनांक 19.05.2024 के पश्चात् सोसायटी कभी भी निष्क्रिय नहीं हुई और बड़े बड़े आयोजन हुए जिनमें आम आदमी से लेकर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उपनेता, मुख्य सचेतक, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधायक गण एवं अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों ने भाग लिया है। यह बात जरूर है कि कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल ने बिजली पानी बिलों एवं अन्य बिलों का भुगतान नहीं करके सोसायटी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की कोशिश की परंतु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली।

पिछले 15 महिनों में ऐसे आयोजन हुए हैं जिनमें हजारों लोग शामिल हुए और रोजगार मेलों के आयोजन से हजारों व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में नोकरीयां प्रदान करवाई गई है।

श्री बनवारी लाल बैरवा द्वारा श्री जसवन्त सम्पतराम को अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोकने हेतु न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसके इंटरिम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा वाद को माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.08.2024 एवं दिनांक 17.10.2025 को ख़ारिज़ कर दिया है। दोनों फैसलों की प्रति संलग्न है। अतः श्री जसवन्त सम्पतराम को अध्यक्ष पद पर कार्य करने में कभी भी कोई वैधानिक रुकावट नहीं रही है।

पेराग्राफ क्रमांक 4- सोसायटी विधान अनुसार पत्राचार करना महासचिव का कर्तव्य एवं अधिकार है जिस पर कोषाध्यक्ष को कोई आपत्ती नही होनी चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार पत्राचार करना सोसायटी विधान का उलंघन है। कोषाध्यक्ष द्वारा सदस्यता फार्म भी अपने घर पर मंगवाएं जा रहें हैं, जो कि सोसायटी विधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

केंद्रीय कार्यसमिति के हर चुनाव से पहले सोसायटी में काफ़ी संख्या में सदस्यता फार्म प्राप्त होते रहे हैं और इस वर्ष भी काफ़ी सदस्यता फार्म प्राप्त हो रहें हैं। अधिकतर सदस्यता फार्म का सदस्यता शुल्क क्यूआरकोड के माध्यम से केंद्रीय कार्यसमिति के बैंक खाते में प्राप्त किया जा रहा है, परंतु कुछ व्यक्ति सदस्यता फार्म के साथ सदस्यता शुल्क नक़द जमा करवाने हेतु सोसायटी में लाते हैं और उनसे नक़द सदस्यता शुल्क प्राप्त करने की कोई व्यवस्था कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा नहीं की गई है, जो कि सदस्यता अभियान को पटरी से उतारने का सोचा समझा कार्य है।

पेराग्राफ क्रमांक 5- श्री हनुमान प्रसाद जी, पूर्व अध्यक्ष के निवास पर हुई किसी भी प्रकार की बैठक में किसी भी प्रकार की सहमति बनने की मुझे कोई सूचना नहीं है।

पेराग्राफ क्रमांक 6- सोसायटी विधान अनुसार ही श्री जसवन्त सम्पतराम अध्यक्ष एवं महासचिव जी एल वर्मा द्वारा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। परंतु कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार महासचिव एवं चुनाव अधिकारी को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष पिछले एक महीने में मुश्किल से चार बार सोसायटी में आएं है और वो भी बहुत कम समय के लिए। श्री जसवन्त सम्पतराम, सोसायटी के वैधानिक अध्यक्ष हैं और अपनी जिम्मेदारी विधान अनुसार निभा रहे हैं परंतु श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं प्रदान करके चुनाव प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है।

पेराग्राफ क्रमांक 7- श्री जसवन्त सम्पतराम, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर के वैधानिक अध्यक्ष हैं और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति श्री जसवन्त सम्पतराम जी के हस्ताक्षर से ही हुई है, परंतु कोषाध्यक्ष द्वारा श्री जसवन्त सम्पतराम को बार-बार चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने का अनुरोध उचित नहीं है। चुनाव अधिकारी अपने हिसाब से फैसले करने हेतु स्वतंत्र है, परंतु कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार चुनाव समिति के समय अवैधानिक मांगें रखकर चुनाव में बाध उत्पन्न कर रहे हैं। सोसायटी विधान अनुसार समस्त पत्राचार करना महासचिव का कर्त्तव्य एवं अधिकार भी है, इस वैधानिक अधिकार से महासचिव को वंचित करने का कोषाध्यक्ष का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा सोसायटी विधान अनुसार ही फैसले किए जाएंगे।

कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष को कभी इग्नोर नहीं किया है। परंतु कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा सोसायटी को समय नहीं दिया और उनकी उपस्थिति में केंद्रीय कार्यसमिति में पारित प्रस्तावों में उनको प्रदान की गई जिम्मेदारीयों का वहन नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप कुछ कोषाध्यक्ष के पास लंबित मामले आपके अवलोकन हेतु निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 12.02.2023 में (जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा और और श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे) प्रस्ताव पारित किया गया था कि श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही पूर्व कोषाध्यक्ष से प्राप्त कार्यभार से संबंधित सूचनाओं से कार्यसमिति को अवगत करवाएंगे ।

परंतु श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा आज़ तक भी उपरोक्त सूचना कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 26.02.2023 को आयोजित हुई जिसमें डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा, अध्यक्ष, श्री बी एल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री जी एल वर्मा, महासचिव एवं श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष भी अन्य पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे और इस बैठक में कोषाध्यक्ष से निम्न जानकारीया केंद्रीय कार्यसमिति के समक्ष रखने का अनुरोध किया गया:

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

पूर्व कोषाध्यक्ष से प्राप्त सदस्यता फार्म एवं रसीदों/रसीद बुकों की पूर्ण सूची। पूर्व कोषाध्यक्ष से प्राप्त रसीद पुस्तकों का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर (विधान क्रमांक 20-6) की स्थिति। केंद्रीय बैंक खाता जयपुर में उपलब्ध राशि में से जिले वाइज हिस्सा राशि का विवरण।

परन्तु श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा केंद्रीय कार्यसमिति को इन सूचनाओं से अभी तक भी अवगत नहीं कराया है।

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 3.6.2023 में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए थे और इस बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा, श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री जी एल वर्मा, महासचिव, श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष भी अन्य पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे।

जिला शाखाओं को वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यता शुल्क के जिले का हिस्सा (रूपए तीन सौ प्रति सदस्य) प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिला वाइज डिटेल्स कोषाध्यक्ष महोदय अगली कार्यसमिति बैठक समक्ष अनुमोदन के लिए पेश करेंगे।

परन्तु श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त सूचनाएं प्रदान नहीं की। जिला इकाइयों द्वारा बार-बार अनुरोध पश्चात् भी ज़िलों की हिस्सा राशि कोषाध्यक्ष द्वारा जिलों को उपलब्ध नहीं करवाई।

पेराग्राफ क्रमांक 8- श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार अध्यक्ष पद को विवादास्पद कहना समझ से परे है, जबकि श्री जसवन्त सम्पतराम, अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के सारे कर्तव्यों को निभाया जा रहा है। श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वो तय करेंगे कि पत्राचार कोन करेगा और कोन नहीं और सोसायटी विधान को ताक पर रख दिया जाएगा।

पेराग्राफ क्रमांक 9- श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वह यह तय करेंगे कि चुनाव अधिकारी किसके साथ पत्राचार करेंगे और किसके साथ नहीं। चुनाव अधिकारी से प्राप्त सूचना जो भी कोषाध्यक्ष से संबंधित है वो हमेशा कोषाध्यक्ष को सूचित की गई है और महासचिव के पास इसके प्रमाण है।

क्या चुनाव अधिकारी सोसायटी में हर कार्य के लिए हर व्यक्ति को पत्र लिखेंगे, कोषाध्यक्ष की यह मांग बिल्कुल ग़लत है। अगर ऐसी मांगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो आगे से उसे परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जिससे सोसायटी विधान के कमजोर होने की पूरी संभावना है।

चुनाव अधिकारी से प्राप्त पत्र क्रमांक 05 दिनांक 01.10.2025 को उसी रोज कोषाध्यक्ष महोदय को आगे की कार्यवाही हेतु ईमेल से प्रेषित किया गया था और कोषाध्यक्ष ने उसी दिन दिनांक 01.10.2025 को ईमेल से महासचिव को जवाब भी भेज दिया था, परंतु दिनांक 08.10.2025 तक चुनाव समिति को स्वीकृत धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई, जो कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी।

श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव समिति को धनराशि प्रदान करने में इतना विलम्ब क्यों किया।

पेराग्राफ क्रमांक 11- कोषाध्यक्ष का यह कथन कि विधान अनुसार सदस्यता फार्म, सदस्यता रसीद मय सदस्यता राशि प्राप्त करने व बैंक में जमा करवाने के लिए कोषाध्यक्ष जिम्मेदार है। पूर्व में सदस्यता शुल्क को लेकर वर्ष 2022 में काफ़ी विवाद हुआ था, अतः केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा पहले ही यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका है कि समस्त धनराशि केंद्रीय कार्यसमिति के बैंक अकाउंट में प्राप्त की जाएगी और जिलों की सदस्यता राशि जिला शाखाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्रीय कार्यसमिति के हर चुनाव से पहले सोसायटी में काफ़ी संख्या में सदस्यता फार्म प्राप्त होते रहे हैं और इस वर्ष भी काफ़ी सदस्यता फार्म प्राप्त हो रहें हैं। अधिकतर सदस्यता फार्म का सदस्यता शुल्क क्यूआरकोड के माध्यम से केंद्रीय कार्यसमिति के बैंक खाते में प्राप्त किया जा रहा है, परंतु कुछ व्यक्ति सदस्यता फार्म के साथ सदस्यता शुल्क नक़द जमा करवाने हेतु सोसायटी में लाते हैं और उनसे सदस्यता शुल्क नक़द प्राप्त करने की कोई व्यवस्था कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा नहीं की गई है, जो कि सदस्यता अभियान को पटरी से उतारने का सोचा समझा कार्य है। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार सूचित किया जा रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से लंबे समय तक सोसायटी में उपलब्ध नहीं रहेंगे। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष सदस्यता फार्म अपने घर के पते पर मंगवा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी अनियमितता है और सदस्यता सूची जारी करने में समस्या उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। सदस्यता सूची तैयार करना महासचिव की जिम्मेदारी है अतः इस कार्य में कोषाध्यक्ष को महासचिव का सहयोग करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि कोषाध्यक्ष को सदस्यता फार्म अपने घर पर मंगवाने से रोका जाए, अन्यथा अव्यवस्था होने की प्रबल संभावना है।

पेराग्राफ क्रमांक 12- कोषाध्यक्ष का यह कथन कि महासचिव ने सदस्यता फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.10.2025 जारी की है, जबकि यह तिथि कोषाध्यक्ष से परामर्श उपरांत ही जारी की गई थी। कोषाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के ग़लत आरोप लगाने से वातावरण दूषित हो रहा है और आपसी विश्वास को ठेस पहुंचाई जा रही है।

श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी प्रचारित की है कि श्री जी एल वर्मा को सोसायटी महासचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है और श्री भंवर मेघवंशी, संयुक्त सचिव को महासचिव पद का अतिरिक्त कार्यभार संभलाया गया है। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष की इस विषय पर चुप्पी इस बात की धोतक है कि श्री बनवारी लाल बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा महासचिव पद को भी अपनी सुविधानुसार जब चाहे विवादास्पद कर देते हैं।

पेराग्राफ क्रमांक 13- चुनाव समिति की बैठक दिनांक 05.10.2025 में महासचिव से मांगी गई समस्त जानकारी चुनाव अधिकारी को उपलब्ध कराई जा चुकी है परंतु कोषाध्यक्ष द्वारा कोषाध्यक्ष से संबंधित सभी जानकारी चुनाव समिति को प्रदान करने से मना करना चुनाव में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास है।

पेराग्राफ क्रमांक 14- कोषाध्यक्ष द्वारा श्री बनवारी लाल बैरवा को कभी अध्यक्ष, कभी कार्यवाहक अध्यक्ष और कभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष से संबोधित किया जाना और बार बार दो पक्षों का जिक्र करना विवाद को बढ़ावा देने का कार्य है। श्री जसवन्त सम्पतराम जी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोकने हेतु कभी भी किसी भी सक्षम वैधानिक शक्ति द्वारा कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। अतः सोसायटी में एक ही पक्ष है जिसके अध्यक्ष श्री जसवन्त सम्पतराम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल बैरवा, महासचिव श्री जी एल वर्मा और कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल हैं। आशा है कि चुनाव अधिकारी किसी भी अवैधानिक पदाधिकारी के विचारों को संज्ञान में नहीं लेंगे और चुनाव वैधानिक रूप से करवाएंगे।

पेराग्राफ क्रमांक 15- कोषाध्यक्ष द्वारा पानी बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और छात्रावास में रहने वाले छात्रों की अमानत राशि नहीं लोटा रहें हैं और छात्रों से प्राप्त विकास शुल्क को अन्य उपयोग में लेकर भारी अनियमितता की है, और महासचिव द्वारा चुनाव कार्य हेतु स्वीकृत एक लाख रुपए की राशि का भुगतान करने से मना करना इस बात का द्योतक है कि कोषाध्यक्ष चुनाव में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष महोदय द्वारा बिजली पानी बिलों का भुगतान नहीं करने से स्पष्ट है कि कोषाध्यक्ष केवल अपनी मर्ज़ी से अपनी सुविधानुसार भुगतान करेंगे और सोसायटी विधान अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं करेंगे। आप स्वयं इस बात से सहमत हैं कि कोषाध्यक्ष महोदय यदा-कदा ही सोसायटी आते हैं जबकि महासचिव रोज़ सोसायटी आकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आपसे अनुरोध है कि ऐसा कोई भी पत्र जिसमे लेटर हेड में श्री बनवारी लाल बैरवा को अध्यक्ष बताया गया है, का संज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि श्री जसवन्त सम्पतराम ही वैधानिक अध्यक्ष हैं और माननीय न्यायालय ने श्री जसवन्त सम्पतराम को अध्यक्ष पद पर कार्य करने से रोकने हेतु मना कर दिया है, श्री बनवारी लाल बैरवा को अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करना न्यायालय के फैसले की अवमानना मानी जा सकती है।

पेराग्राफ क्रमांक 16- कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा महासचिव पर यह आरोप लगाया गया है कि अंग्रेजी रुपांतरण के नाम पर अनेकों नाम हटा दिए गए व अनेकों नाम डुप्लिकेट हो गए हैं, कोषाध्यक्ष का यह कथन बिल्कुल ग़लत है और महासचिव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। केंद्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 3.6.2023 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सदस्यता सूची में सदस्यों को हिंदी में जानकारी सर्च करना (ढूंढना) कठिन रहता है। इस कारण पुरानी सदस्यता सूची को अपडेट करते हुए आगे से केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। इस बैठक में तत्कालीन अध्यक्ष डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा, तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री

बनवारी लाल बैरवा, महासचिव श्री जी एल वर्मा, कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल भी अन्य पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे और प्रस्ताव आम सहमति से पारित किया गया था। पुरानी सदस्यता सूची को अंग्रेजी में परिवर्तित करने का कार्य सोसायटी में पूरी पारदर्शिता से किया गया था और वेबसाइट डेवलपर को महासचिव द्वारा जो सदस्यता सूचियां वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजी गई थी उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, इस संबंध में भेजी गई ईमेल सुरक्षित है, जिसका अवलोकन चुनाव अधिकारी जब चाहे कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं पर की जा रही चर्चा को संज्ञान में लेकर कोषाध्यक्ष द्वारा महासचिव पर आरोप लगना सरासर अनुचित है और केवल महासचिव की छवि खराब करने के उद्देश्य से यह कार्य किए जा रहे हैं। वेबसाइट डेवलपर द्वारा विभिन्न जिलों की सदस्यता सूची पुनः अपलोड की जा रही है और यह सावधानी बर्ती जा रही है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। आपको पहले भी सूचित किया जा चुका है कि जो भी नए सदस्यता फार्म प्राप्त हो रहें हैं उन्हें रोजाना टाईप करवाएं जा रहें हैं जिसकी पुष्टि श्री पवन, कंप्यूटर आपरेटर ने चुनाव समिति के समक्ष की है, फिर भी कोषाध्यक्ष का यह आरोप की महासचिव द्वारा सदस्यता सूची रोज़ टाईप नहीं करवाई जा रही है, गलत है और केवल महासचिव की छवि खराब करने का प्रयास है। जबकि कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल द्वारा सदस्यता फार्म अपने घर के पते पर मंगवाएं जा रहें हैं और महासचिव को सदस्यता सूची तैयार करने हेतु उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। सोसायटी कार्यालय में प्राप्त होने वाले फ़ार्मों को कोषाध्यक्ष से उनके घर जाकर सत्यापित करवाना संभव नहीं है।

पेराग्राफ क्रमांक 17- चुनाव अधिकारी को पहले ही सुचित किया जा चुका है कि पूर्व महासचिव या अध्यक्ष से पुरानी सदस्यता सूची वर्ष 2022 महासचिव को प्राप्त नहीं हुई है और महासचिव द्वारा आफिस कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा से सदस्यता सूची तैयार की जा रही है। वर्ष 2022 में प्राप्त सदस्यता फार्म कोषाध्यक्ष के पास है और उन्हें पूर्व में सूचित किया गया था कि उपलब्ध फार्मों का वेरीफिकेशन करके एक सूची महासचिव को उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि महासचिव द्वारा तैयार की जा रही सदस्यता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहें परन्तु कोषाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त सूचना आज़ तक भी महासचिव को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सोसायटी के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि एफडीआर के रूप में उपलब्ध है जिसे चुनाव कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है परंतु कोषाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त धनराशि को उपयोग नहीं करने का कारण समझ से परे है।

पेराग्राफ क्रमांक 18- श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा श्री जसवन्त सम्पतराम जी को बार-बार विवादास्पद कहना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की मांग अवैधानिक है और माननीय न्यायालय के फैसले की अवमानना का प्रयास है। अतः आपसे अनुरोध है कि चुनाव केवल सोसायटी विधान एवं माननीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही करवाएं।

मुझे कई जिलों से उनके जिलों की सदस्यता राशि का हिस्सा उन जिलों के बैंक अकाउंट में कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रांसफर नहीं किए जाने कि सूचना मिली थी और कोषाध्यक्ष महोदय को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था परंतु जिलों को कोषाध्यक्ष द्वारा उनकी हिस्सा राशि प्रदान नहीं

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.) अध्यक्ष मो. 9414308305
बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9001195384
दयानन्द सक्करवाल कोषाध्यक्ष मो. 9634418411
जी.एल. वर्मा महासचिव मो. 9829688869

करना बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। जिलों को प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करवाने के कारण कई जिलों द्वारा वर्ष 2022 में चुनाव में हुए खर्चों का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जा सका है। अतः इस पत्र के माध्यम से कोषाध्यक्ष महोदय को अनुरोध किया जाता है कि हर जिले को कम-से-कम 20000 रूपए प्रति मतदाता बूथ के हिसाब से अग्रिम उपलब्ध करवाएं जिससे कि चुनाव वर्ष 2022 के खर्चों का पुनर्भरण हों सके और आगामी चुनाव निष्पक्ष हो सके और अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव कार्यों हेतु धनराशि खर्च करके चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सके।

सादर

(जी एल वर्मा)
महासचिव
9829688869

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. श्री दयानंद सक्करवाल , कोषाध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार. सोसायटी, टोंक रोड़, जयपुर |
3. समस्त सोसायटी सदस्य, सोशल मीडिया द्वारा।
4. वेबसाइट एवं सूचना पट्ट |

महासचिव